भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. *376
13.12.2019 को उत्तर के लिए

हिमालय के हिमनदों पर प्रदूषण का प्रभाव

***376. श्री अजय टम्टा:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैज्ञानिकों ने पाया है कि पी एम 0.5 कार्बन ब्लैक के 217 एनजी/एम 3 प्रदूषण का हिमालयी राज्यों में हिमनदों पर दुष्प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रकार की स्थिति से निपटने तथा हिमालयी हिमनदों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या हिमालयी राज्यों में अनुपयुक्त अपशिष्ट प्रबंधन और पुनर्चक्रण, प्लास्टिक सहित कचरा को अनुचित रूप से जलाने की अनेक घटनाएं सरकार के ध्यान में आई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं तथा विगत तीन वर्षों के दौरान ऐसी घटनाओं को नियंत्रित/रोकने के लिए राज्य सरकारों को कितनी निधि जारी की गई है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री
(श्री प्रकाश जावडेकर)

(क) से (ड.) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

*****

'हिमालय के हिमनदों पर प्रदूषण का प्रभाव' के संबंध में श्री अजय टम्टा द्वारा दिनांक 13.12.2019 को उत्तर के लिए पूछे गए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. *376 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ख) ब्लैक कार्बन, जीवाश्म ईंधन, वनस्पतियों के जलने, औद्योगिक बहि:स्रावों, मोटर वाहनों और एयर क्राफ्ट नि:शेषण जैसी दहन प्रक्रियाओं के गौण उत्पाद के रूप में वातावरण में उत्सर्जित होता है। विभिन्न संस्थानों द्वारा हिमालयी क्षेत्र के हिमनदों में ब्लैक कार्बन (बीसी) की निगरानी की गई है। जीबी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान द्वारा की गई निगरानी के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में पार्वती हिमनद पर बीसी सांद्रण 0.34 µg/m3 – 0.56 µg/m3 की रेंज में है। पार्वती, हमटा और ब्यास कुंड हिमनदों के तराई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में बीसी सांद्रण 796 ng//m3, 416 ng/m3, 432 ng/m3 है। वाडिया हिमालयी भूविज्ञान संस्थान द्वारा गंगोत्री हिमनदों में की गई निगरानी के अनुसार, बीसी सांद्रण 0.01 µg/m3 से 4.62 µgm3 की रेंज में है।

(ग) केंद्रीय सरकार ने हिमालयी क्षेत्र के राज्यों में पर्यावरणीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वेस्ट से एनर्जी उत्पादन करने के लिए संयंत्रों की स्थापना हेतु नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल है। ब्यौरा निम्नवत है:

क. बायोगैस के लिए, प्रति 12000 m3 बायोगैस / प्रतिदिन के लिए 1 करोड़ रूपए की पूंजीगत सहायता प्रदान की गई [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक] है।

ख. विद्युत परियोजनाओं के तहत, 3.0 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट की सहायता दी गई। [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रूपए तक]। यदि किसी मामले में विकासकर्ता पहले मौजूद बायोगैस उत्पादन इकाई पर विद्युत उत्पादन इकाई की स्थापना करना चाहता है, तब प्रयोज्य केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) केवल 2 करोड़ प्रति मेगावाट होगी।

ग. बायोगैस – सीएनजी / समृद्ध बायोगैस के लिए, 12000 m3 बायोगैस प्रति दिन से, प्रति दिन उत्सर्जित बायो-सीएनजी के 4.0 करोड़ – 4800 कि.ग्रा. / प्रतिदिन की सहायता [प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ तक] है। यदि किसी मामले में, विकासकर्ता पहले से मौजूद बायो गैस उत्पादन इकाई पर बायो-सीएनजी उत्पादन इकाई को स्थापित करना चाहता है, तब प्रयोज्य केंद्रीय वित्तीय सहायता केवल 3 करोड़ रूपए प्रति मेगावाट होगी।

इसके अतिरिक्त, उत्तराखंड राज्य सरकार ने पर्यावरणीय प्रदूषण को खत्म करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, प्लास्टिक और कूड़े-कचरे के जलाने पर प्रतिबंध लगाना, पृथक्कृत पुनचर्क्रण – योग्य (प्लास्टिक, रबर, कार्डबोर्ड, जूट की थैलियां आदि) सामग्री को सघन बनाने के लिए कम्पैक्टरों की स्थापना करना शामिल है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने गैर-जैव अवक्रमणीय अपशिष्ट के अवैज्ञानिक निपटान करने के कारण होने वाले पर्यावरणीय प्रदूषण को खत्म करने के लिए हिमाचल प्रदेश गैर – जैव अवक्रमणीय कूड़ा कचरा (नियंत्रण) अधिनियम, 1995 अधिनियमित किया है और रोहतांग पास की ओर जाने वाले वाहनों की संख्या को एक दिन में 1200 तक (डीजल से चलने वाले 800 वाहनों और पेट्रोल से चलने वाले 400 वाहनों) विनियमित किया गया है।

(घ) और (ड.) हिमालयी क्षेत्र के राज्यों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों / प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा प्लास्टिक से उत्पन्न होने वाले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न नोटिस / निदेश जारी किए गए हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं

हिमाचल प्रदेश (एचपी) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

हिमाचल प्रदेश राज्य में वर्ष 2019 में 787 उल्लंघनकर्ताओं से 6,67,700 रूपए तक का कम्पाऊडिंग शुल्क एकत्रित किया गया है।

उत्तराखंड पर्यावरणीय सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड:

- बोर्ड ने प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 का अनुपालन करने के लिए सभी जिलाधिकारियों को निदेश जारी किए हैं

- चूककर्ताओं से 110.53 लाख रूपए एकत्रित किए गए हैं।
- कचरा फैलाने और थूकने पर पाबंदी संबंधी अधिनियम, 2016 का उल्लंघन करने पर 24.08 लाख रूपए एकत्रित किए गए

जम्मू और कशमीर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

- 07 चूककर्ताओं (प्लास्टिक विनिर्माण इकाइयों) को बंद करने के आदेश जारी किए गए।
- गत छः महीनों के दौरान लगभग 28 मीट्रिक टन अवैध पॉलीथीन और अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं (सिंगल यूज प्लास्टिक) की जब्ती की गई है।

*****